जिला परिषद कार्यालय, पटना।

अल्पकालीन निविदा

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, पटना के अधीन विभिन्न सैरातों हाट बाजार/मेला के वित्तीय वर्ष 2021–22 के शेष अवधि अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए अस्थायी बन्दोवस्ती हेतु दिनांक–09.10.2021 के अपराह्न 04:00 बजे तक निविदा आमंत्रण की तिथि निर्धारित की जाती है :–

निविदा आमंत्रण मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्–सह–उप विकास आयुक्त, पटना के कार्यालय कक्ष में डाक के माध्यम से या हाथों–हाथ प्राप्त की जायेगी तथा निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि दिनांक–09.10.2021 को अपराह्न 04:00 बजे निविदा खोल कर निलामी की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। नीलामी का संचालन पीठासीन पदाधिकारी –सह– अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पटना द्वारा किया जाएगा।

उक्त संदर्भ में विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्यावधि में जिला परिषद कार्यालय, पटना से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। जिला परिषद कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी देखा जा सकता है।

जिला परिषद् के सैरातों का नाम सुरक्षित जमा राशि एवं जमानत की राशि का विवरण :–

क्रम सं.	सैरात का नाम	संशोधित सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि
1	बिक्रम प्रखंड के भरतपुरा भदसारा पथ पर लगने वाला उलार छठ मेला	119025.00	12000.00
2	खुशरूपुर प्रखंड के बैकठपुर पैमाली घाट एक दिवसीय मेला	115000.00	11500.00
3	दुल्हिन बाजार हाट मौजा छोटकी खडवॉ	348987.00	35000.00

नीलामी की शर्त्ते निम्न प्रकार होगी :–

01. इच्छुक डाक वक्ता को जमानत के रूप में उपरोक्त तालिका में वर्णित जमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
02. जमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पटना के पदनाम से स्वीकार्य होगा।
03. बन्दोवस्ती अधिकत्तम डाक वक्ता के साथ किया जाएगा।
04. असफल डाकवक्ता को जमानत की राशि नीलामी के उपरांत वापस कर दिया जाएगा।
05. सफल डाकवक्ता को नीलामी की पूरी राशि उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 02 दिनों के अंदर जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में डाक की पूरी राशि नहीं जमा करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
06. स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोवस्ती राशि पर 3 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क की राशि जमा करना होगा।
07. विहित प्रपत्र में एकरानामा करने के पश्चात ही सैरात वसूली कार्य करने का अधिकार होगा।
08. वन्दोवस्तधारी को स्थल/बाजार की सफाई, रख–रखाव की व्यवस्था स्वंय अपने स्तर से करना होगा।
09. प्राप्त निविदा को किसी भी समय स्थगित या रदद् करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पटना–सह–उप विकास आयुक्त, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।
10. जिला परिषद के कर्मचारी एवं पदाधिकारी स्वंय या अपने परिवार के नाम से नीलामी में भाग नहीं ले सकेगें।

30/9/21

उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, पटना।

Nabin Doc. 3